


प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पच्चीस'

प्रश्न सं. [क. 4345]

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न



1080

उत्तर भेजने का अन्तिम
दिनांक : 15/07/2015

विभाग का नाम : राजस्व

वर्ग : 3 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 7/22/2015 12:00:00 AM

विषय : चरनोई भूमि पर अतिक्रमण ।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1080) श्री नीलेश अवस्थी

क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) तहसील मझौली, जिला जबलपुर में कुल कितनी भूमि चरनोई/घास मद में दर्ज है ? एवं उक्त भूमि में अतिक्रमण के कुल कितने प्रकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं ?

(ख) क्या प.ह.न.39 ग्राम सेलहटी, ग्राम पंचायत टिकरी, तहसील मझौली का खसरा नम्बर 02 (दो) राजस्व अभिलेख में चरनोई मद में दर्ज है ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त चरनोई भूमि में वर्तमान समय में किसका बेजा कब्जा है उक्त चरनोई मद में दर्ज भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? उक्त भूमि कब तक बेजा कब्जे से मुक्त करा ली जावेगी ? यदि नहीं कराई जावेगी तो क्यों नहीं ?

तारांकित प्रश्न 1080

:: उत्तर ::

श्री रामपालसिंह मंत्री राजस्व विभाग

(क) कुल रकबा 3398.42 है 0 भूमि चरनोई घास मद में दर्ज है। अतिक्रमण के कुल 37 प्रकरण दर्ज हैं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्नाधीन शासकीय भूमि खसरा नं. 02 पर किसी का बेजा कब्जा नहीं है। भूमि मौके पर रिक्त पडी है। अतिक्रमण हटाने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

अनुभाग अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग